

Date / /

महिला अधिकारों के प्रति संयुक्त राष्ट्र
का एक महत्वपूर्ण समझौता (CEDAW)

CEDAW (महिला अधिकारों के प्रति संयुक्त
राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण समझौता के
द्वारे में CEDAW का मतलब है "महिलाओं
के प्रति अविभाज्य के सभी रूपों का
उन्मूलन" यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1979
में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय
समझौता है, जिसका उद्देश्य दुनिया
भर में महिलाओं के अधिकारों
की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा
देना है।

भारत ने 1993 में CEDAW
का स्वीकार किया था। इस समझौते
के तहत, भारत सरकार को महिलाओं
के अधिकारों की रक्षा और प्यार
के लिए कदम उठाने होंगे, जैसे
कि समान काम के लिए समान
वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं
में समानता, और महिलाओं के खिलाफ
द्वेष का रोकना।

(Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination
Against Women)